

# वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद

## मानव संसाधन विकास समूह

सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स, लाइब्रेरी ऐवेन्यू, पूसा, नई दिल्ली -1100 12

सं. 10(4)/7सीपीसी/2018-पूल

दिनांक: -05-11-2019

### कार्यालय ज्ञापन

विषय:- सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुरूप सी एस आई आर-वरिष्ठ अनुसंधान अध्येताओं (एस आर ए) के वेतन का संशोधन तथा एस आर ए के आकस्मिकता अनुदान (Contingency Grant) में वृद्धि के संबंध में।


शासी निकाय (जीबी), सी एस आई आर ने दिनांक 23-08-2019 को संपन्न हुई अपनी 192वीं बैठक में सी एस आई आर - वरिष्ठ अनुसंधान अध्येताओं (एस आर ए) के मूल वेतन स्तर तथा भारत सरकार के नियमानुसार उनको देय डीए, एचआरए में सातवें वेतन आयोग के अनुसार दिनांक 01-09-2018 से प्रभावी संशोधन के प्रस्ताव पर विचार किया और इसको स्वीकृती प्रदान की है। तदनुसार, सी एस आई आर-वरिष्ठ अनुसंधान अध्येताओं (एस आर ए) के दिनांक 01-09-2018 से प्रभावी संशोधित मूल वेतन स्तर निम्न प्रकार है:

क्र. सं.	वर्तमान मूल वेतन (₹)	संशोधित वेतन (₹)
1	21000	56100
2	21310	56100
3	21820	56100
4	22330	57800
5	25200	67700
6	25810	67700

संशोधित मूल वेतन नियत है और इनमें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि स्वीकार्य नहीं है।

शासी निकाय ने सी एस आई आर-वरिष्ठ अनुसंधान अध्येताओं (एस आर ए) के संबंध में आकस्मिकता अनुदान (Contingency Grant) की राशि में दिनांक 01-04-2019 से प्रभावी ₹ 20,000/- प्रति वर्ष के स्थान पर ₹ 40,000/- प्रति वर्ष की बढ़ोतरी को भी अपना अनुमोदन प्रदान किया है।

अन्य नियम एवं शर्तें पूर्व-वत रहेंगी।

  
(अनिता सिंह)

अवर सचिव (ईएमआर)

प्रतिलिपि:-

1. सभी विश्वविद्यालयों/राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/सी एस आई आर के संस्थानों के रजिस्ट्रार/निदेशक
2. सभी अनुदान ग्राही संस्थान
3. अनुदान ग्राही संस्थानों के वित्त अधिकारी
4. सचिव, डीएसआईआर के निजी सचिव
5. महानिदेशक, सीएसआईआर के निजी सचिव
6. संयुक्त सचिव (प्र.), सीएसआईआर के निजी सचिव
7. वित्तीय सलाहकार, सीएसआईआर के निजी सचिव
8. प्रमुख, एचआरडीजी के निजी सचिव
9. सभी विश्वविद्यालयों/राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/सी एस आई आर के संस्थानों के वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/ प्रशासन नियंत्रक/प्रशासनिक अधिकारी/वित्त एवं लेखा अधिकारी
10. उप सचिव (के.का.), सी एस आई आर मुख्यालय
11. उप सचिव (ईएमआर), सी एस आई आर कॉम्प्लेक्स
12. उप वित्तीय सलाहकार, सी एस आई आर कॉम्प्लेक्स
13. वित्त एवं लेखाधिकारी, (ईएमआर), सी एस आई आर कॉम्प्लेक्स
14. सी एस आई आर-एच आर डी जी के सभी प्रभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष
15. सूचना पट्ट
16. प्रमुख (आई टी): इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को सी एस आई आर-एच आर डी जी के वेबसाइट पर अपलोड करें।